(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years.)

however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall held.

"Principal rules published vide Notification No. S.O. 2514, dated 13-7-1968 Gazette of India, Part II, Section 3(ii) pages 3367 to 3388 and subsequently amended by (1) Notification No. GSR 1175 dated 7-8-1976 pages 2132-2133 (2) Notification No. GSR 273 dated 26-2-77 page 685 (3) Notification No. GSR. 230, dated 11-2-1978 page 361 (4) Notification No. 803 dated 9-6-1979 pages 1615 to 1616 (5) Notification No. GSR. 629 dated 7-6-1980 page 1305 (6) Notification No. GSR. 723 dated 1-10-1983 pages 2163 to 2164 Gazette of India. Part II Section 3(i). [illegible]

[No. 11(15)/(81-Admn. III]
R.K. TANDON, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1985

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 659.—इस मंत्रालय की तारीख 15 मई, 1985 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए नीचे लिखे पद के सामने निम्नलिखित शुद्धि की जाए :

उपसचिव (योजना)

स्तम्भ 4 के नीचे "Cailing" शब्द को "Ceiling" पढ़ा जाए।

[सं. 5/21/83 एन. ई.-II]
कुमारी नीरू नंदा, उप सचिव

New Delhi the 1st July, 1985.

CORRIGENDUM

G.S.R. 659.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 15th May, 1985 the following correction may be noted against the post indicated below :—

Deputy Secretary (Planning)

Under col. 4 the word "calling" may be read as "ceiling".

[No. 5/21/83-NE-II]
MISS NEERU NANDA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 1985

सा. का. नि. 660.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय) (मुख्य लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

(सरबजीत सिंह / SARVJIT SINGH)
अवर सचिव / Under Secretary
वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग)
Ministry of Finance (Deptt. of Rev.)
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
मुख्य लेखा अधिकारी	34* (1985) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	700-40-900-द. रो-40-1100-50-1300 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तर द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
10	11
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसा प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी/लेखा-परीक्षक, जिसने

(सर्वजीत सिंह/SARVJIT SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग)
Ministry of Finance, Deptt. of Rev.)
Govt. of India

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
1. (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति । (i) अध्यक्ष सदस्य, सं. लो. से. आ. —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क—सदस्य (iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के दो सदस्य ; जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष करेगा —सदस्य 2. (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड—अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के दो सदस्य जिनका नाम-निर्देशन अध्यक्ष करेगा —सदस्य	पद पर प्रोन्नति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।

[सं० 1/85 फा० सं० ए-12018/2/79-प्रशा० II बोर्ड]

एस० पी० कुंडू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th June, 1985

G.S.R. 660.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Chief Accounts Officer in the attached and subordinate offices under the Central Board of Excise and Customs, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) (Chief Accounts Officer) Recruitment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit, other Qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matter relting thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Governent may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

/SARVJIT SINGH
Under Secretary
(Deptt. of Rev.)
Govt. of India
Delhi

P1199 349

(9)

SCHEDULE

Name of post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chief Accounts Officer	34* (1985) *Subject to variation dependent on workloads	General Central Serivce, Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB 40-1100-50-1300.	Selection

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(6a)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted ion making rectt.
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion	Promotion Administrative Officer/ Assistant Chief Accounts Officer/Examiner of Accounts with 3 years regular service in the grade	(1) Group 'A' DPC (for considering promotion) (i) Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman (ii) Chairman, Central Board of Excise and Customs—Member (iii) 2 Members of CBEC to be nominated by Chairman, Excise and Customs—Members (2) Group 'A' DPC (for considering confirmation) (i) Chairman, Central Board of Excise and Customs—Chairman (ii) 2 Members of the CBE to be nominated by Chairman, CBE & C—Members Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion to the post.

(SARVJIT SINGH)
Under Secretary
(Deptt. of Revenue)

12
approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or Member of the UPSC shall be held.

[No. 1/85 F. No. A-12018/2/79-Ad. IIB]
S.P. KUNDU, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1985

सं. 156/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 661—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56-क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसाधित उत्पाद के और सुविधापूर्वक वितरण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उत्पाद शुल्क योग्य माल विनिर्दिष्ट करती है, जिनकी बाबत उक्त नियम के उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया लागू होगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 51-क की उपमद (i) के अंतर्गत आने वाले माल।

[फा. सं. 261/51-क/82-सी.एक्स-8]
ए. के. मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 1985

NO. 156/85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 661.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby specifies, for the purpose of more convenient distribution of finished product, the following excisable goods in respect of which the procedure laid dwn in sub-rule (2) of the said rule shall apply, namely :—

Goods falling under sub-item (i) of Item No. 51A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. 261/51A/82-CX 8]
A. K. MISRA, Under Secy.

(SARVJIT SINGH) Under Secretary, Ministry of Finance (Dept. of Rev.) Govt. of India, New Delhi

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1985

सं. 222/85-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 662—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.

उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में, क्रम सं. 47 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"48. फुट वियर और चमड़े के बंद ऊपरी।"

[फा. सं. 552/25/85-एलसी I]
सुनिल कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :— यह अधिसूचना, अधिसूचना सं. 132-सीमा शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1980 में संशोधन करने के लिए है जिससे कि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978, के अधीन भारत में अधिमानिक प्रवेश के लिए अर्हित होने के लिए नेपाल मूल के एक और उत्पाद को करार कृत प्रक्रिया के अनुसार जोड़ा जा सके। यह मद तब सीमा-शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त होगी जब यह नेपाल से भारत में आयात की जाएगी।

New Delhi, the 13th July, 1985

No. 222/85-Customs

G.S.R. 662.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 132-Customs, dated the 2nd July, 1980, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 47 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

"48. Foot wear and closed leather uppers."

[F. No. 552/25/85-L.C.I.]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

Note : This seeks to amend notification No. 132-Customs, dated the 2nd July, 1980, so as to add one more product of Nepalese origin found as per the agreed procedure, to qualify for preferential entry into India under the Indo-Nepal Treaty of Trade,